B.A Part II Political Science Hons

-By Mithilesh Kr Singh

(1)

DISARMAMENT

संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत निरस्त्रीकरण की प्रगति स्पष्ट कीजिए।

Ans — निरस्त्रीकरण वर्तमान युग में बहुत ही विकट समस्या है। परमाणु एवं आणविक शस्त्रों के विध्वंसकारी प्रभाव ने इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है। निरस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न दीर्घकाल से ही किये जा रहे हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। प्रो० कलूमफील्ड ने लिखा है कि "यदि पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह (Planet) में कोई व्यक्ति है और वह पृथ्वी पर आये तो उसे सबसे असाधारण बात यह दीखेगी कि मनुष्य जाति ने अपने विनाश के लिए जिन विध्वंसकारी आणविक हथियारों का निर्माण किया है, उसके अनुपात में वह इस शस्त्र पर नियंत्रण रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने में असफल रहा है।" डॉ० एडवर्ड है के अनुसार, "शस्त्रों के लिए दौड़ सामूहिक पागलपन तक पहुँच चुकी है और यह आ[श्चर्य]जनक बात है कि अब भी विश्व का जन इसे स्वीकार किये हुए है।

~~यों तो इसको~~

निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में प्रीचीनकाल से प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु आधुनिक युग में इस विषय में महत्वपूर्ण चेष्टा ब्रिटेन के लार्ड कासिलरीग (Lord Castlereagh) ने 1816 में रूस के जार को भेजे एक प्रस्ताव में की थी। इसके पश्चात् ब्रिटेन तथा फ्रांस ने 1890 में भी कई सफल प्रयत्न किये। निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में 1899 का अन्तर्राष्ट्रीय हेग शान्ति सम्मेलन एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके पश्चात् प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत वर्साईज की संधि 1919 द्वारा जर्मनी के निरस्त्रीकरण पर कई प्रतिबन्ध लगा दिये गये। इसके पश्चात् राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत भी ~~निरस्त्र~~ निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को महत्व दिया गया जैसे 1932 का जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह अलग बात है कि राष्ट्रसंघ अपने कार्यों में सफल नहीं हो सका।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं निरस्त्रीकरण →

राष्ट्र संघ की संविदा में जहाँ एक ओर शस्त्रों को कम करने का प्रावधान था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शस्त्रों के नियंत्रण पर अधिक जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की

प्रस्तावना में भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आगामी पीढ़ियों को युद्ध के प्रकोप से बचाने (to save the succeeding generations from the scourge of (war) के लिए की है। अतः यह स्वाभाविक था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इस विषय में स्पष्ट संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निरस्त्रीकरण के विषय में निम्नलिखित प्रावधान है :-

(i) संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना में यह कहा गया कि सशस्त्र शक्ति केवल सामान्य हित में प्रयोग की जाएगी तथा अनुच्छेद 11 में महासभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह निरस्त्रीकरण तथा शस्त्रों के नियन्त्रण के लिए सिद्धान्तों पर विचार कर सकती है तथा अपने सुझाव सदस्यों को तथा सुरक्षा-परिषद को दे सकती है।

(ii) चार्टर के अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद का उत्तरदायित्व है कि वह सैनिक स्टाफ समिति की सहायता से शस्त्रीकरण को नियंत्रित करने की प्रणाली की स्थापना के हेतु योजना बनाये तथा उसे संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करे।

(iii) शस्त्रों के नियंत्रण के लिए योजना तथा प्रणाली स्थापित करने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर रखी गई है तथा प्रावधान रखा गया है कि सुरक्षा परिषद यह जिम्मेदारी सैनिक स्टाफ कमेटी की सहायता से निभायेगी। परन्तु महाशक्ति

के असहयोग तथा संघर्ष के कारण सुरक्षा परिषद, इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पायी।

(iv) चार्टर के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सैनिक कार्यवाही हेतु सदस्य राज्य अपनी सेनायें उपलब्ध करायेंगे।

परन्तु अनुच्छेद 42 में वर्णित विशेष समझौते मतभिन्नताओं के पारस्परिक असहयोग के कारण नहीं हो सके; अतः सैनिक स्टाफ समिति से सम्बन्धित प्रावधान निरर्थक सिद्ध हुआ। इस प्रकार सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ रही। परन्तु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

महासभा ने अपने 24 जनवरी, 1946 के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र आणविक ऊर्जा कमीशन की स्थापना की निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में महासभा का यह महत्वपूर्ण कार्य है।